बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

6 सितम्बर, 2012

अधिसूचना संख्या–6259 दिनांक–6 सितम्बर, 2012– केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विहित घोषणा–पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निम्न प्रक्रिया तथा शर्तों एवं बंधेज के अधीन निर्गत की जायेगीः–

1 आवेदनकर्त्ता व्यवसायी हेतु प्रक्रिया–(i) केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' में घोषणा–पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यवसायी वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट www.biharcommercialtax.gov.in पर अपने User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करेंगे।

(ii) इस अधिसूचना में केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' के निर्गमन हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले व्यवसायी विभागीय वेब–साईट पर लॉग–इन करने के उपरांत "Login for Statutory Forms" आईकॉन पर क्लिक करेंगे।

(iii) उपरोक्त आईकॉन पर क्लिक करने के उपरांत व्यवसायी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उन्हें आवंटित TIN से पुनः लॉग–इन करना होगा। इस प्रकार पुनः लॉग–इन करने के पश्चात् व्यवसायी द्वारा आवेदित अवधि में किये गये अंतर्राज्यीय क्रय के बीजक–वार आंकड़े तथा "Goods in Transit" शीट वेब–साईट पर खुलने वाले एक्सल शीटों में अलग–अलग अपलोड करना होगा।

(iv) "Goods in Transit" शीट तभी अपलोड की जायेगी जब किसी खास त्रैमास हेतु निर्गत क्रय बीजक में संदर्भित माल उस त्रैमास के पश्चात्वर्ती में प्राप्त हुए हों।

(v) प्रपत्र निर्गमन हेतु वांछित सूचना को सफलतापूर्वक अपलोड किये जाने के पश्चात् आवेदनकर्त्ता को सिस्टम–जनित पावती रसीद मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vi) आवेदन की तिथि के चौथे दिन व्यवसायी द्वारा सिस्टम में User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करने के पश्चात् पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन आवंटित TIN से लॉग–इन किया जायेगा एवं इसके उपरांत "Download Approved Statutory Forms" आईकॉन पर क्लिक किया जाना होगा।

(vii) इसके पश्चात् "Approved Statutory Forms" स्क्रीन display खुलने पर व्यवसायी द्वारा आवेदित त्रैमास एवं वर्ष की सूचना प्रविष्ट करते हुए Submit किया जायेगा।

(viii) उक्त सूचना Submit करने के पश्चात् स्क्रीन के नीचे Save Button क्लिक करने पर PDF Format में निर्गमित प्रपत्र "सी" व्यवसायी द्वारा इच्छित फोल्डर अथवा डेस्कटॉप पर Save हो जायेगी।

(ix) इच्छित फोल्डर अथवा डेस्कटॉप को खोलने पर रक्षित प्रपत्र मुद्रण हेतु उपलब्ध होगा जिसे व्यवसायी द्वारा तीन प्रतियों में मुद्रित किया जा सकेगा।

2 अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु प्रक्रिया–(i) अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा विभागीय वेब–साईट पर अपने User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करने पर ''Statutory Forms'' आईकॉन पर क्लिक किया जायेगा एवं खुलने वाले स्क्रीन पर सिस्टम में तिथि की प्रविष्टि करते हुए ''Search Pending Tasks for Approval'' एवं तिथि के नीचे ''Submit'' Button को क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर स्क्रीन पर दिये गये आवेदनों के संदर्भ में सिस्टम–जनित हेतु Acknowledgement Number वार Pending Task की सूची उपलब्ध होगी।

(ii) संबंधित Acknowledgement Number को क्लिक करने पर व्यवसायी विशेष द्वारा दिये गये आवेदनों के संदर्भ में सूचनाओं से संबंधित एक अन्य स्क्रीन खुलेगी जिस पर आवेदन से संबंधित चार प्रश्न पदाधिकारी को दिखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से व्यवसायी के संदर्भ में सिस्टम में पदाधिकारी द्वारा निम्न आशय की सूचनाएँ ''Yes'' अथवा ''No'' के माध्यम से दी जानी होगीः–

(क) व्यवसायी द्वारा दाखिल किए जाने वाली सभी विवरणियां दाखिल कर दी गयी हैं अथवा नहीं ?

(ख) विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान व्यवसायी द्वारा अद्यतन कर दिया गया है, अथवा नहीं ?

(ग) व्यवसायी द्वारा आवेदन के पूर्व प्राप्त सभी प्रपत्र 'सी' की खपत विवरणी दाखिल कर दी गयी है, अथवा नहीं ?

(घ) आलोच्य त्रैमास के ठीक पूर्व के चार त्रैमासों हेतु दाखिल विवरणियों में प्रतिवेदित अंर्तराज्यीय माल प्राप्ति के मूल्य पर देय कर की राशि का कम से कम 75 प्रतिशत राशि तथा उक्त उल्लेखित चार त्रैमासों के ब्लॉक के ठीक पूर्व वाले त्रैमास हेतु दाखिल विवरणी में प्रतिवेदित अंर्तराज्यीय माल प्राप्ति के मूल्य पर देय संपूर्ण कर की राशि का भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं ?

(iii) उपर्युक्त कंडिका 2(ii) में उल्लिखित चारों प्रश्नों का उत्तर पदाधिकारी द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिया जायेगा तथा स्क्रीन के अंत में ''Submit'' Button को क्लिक किया जायेगा।

(iv) सभी प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक होने की दशा में पदाधिकारी द्वारा व्यवसायी के आवदेन को खुलने वाले अगले स्क्रीन पर Approve किया जायेगा।

(v) Approve किये जाने के पश्चात् पदाधिकारी के स्क्रीन से उक्त Task समाप्त हो जायेगा एवं व्यवसायी हेतु मुद्रण के लिए प्रपत्र 'सी' उपलब्ध होगा।

(vi) उपर्युक्त कंडिका 2(ii) (क) से (ग) में वर्णित प्रक्रिया में वर्णित किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने पर डीलर के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । कंडिका 2(ii) (घ) में वर्णित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने पर डीलर के लॉगिन से Form C का ऑन लाईन निर्गमन नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलो में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–बिक्रीकर/विविध–23/2012/524 (अनु0) अंचल प्रभारी दिनांक 17.4.2012 में दिए गए निदेशो के आलोक में (सम्यक जॉचोंपरांत निर्णय लेकर) अपने लॉगिन से Form C का निर्गमन करेंगे।

(vii) कंडिका 2(ii) में वर्णित प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक होने पर वर्ष 2012–13 के द्वितीय त्रैमास एवं उसके बाद की अवधि के ऑन–लाईन Form C निर्गमन के लिए सिस्टम द्वारा पुनः अंचल प्रभारी के लिए यह Task Create नही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2012–13 के द्वितीय, तृतीय एवं चत्तुर्थ त्रैमास से संबंधित Form C के ऑन–लाईन निर्गमन के लिए कंडिका 2(ii) (घ) में वर्णित मात्र एक Task अंचल प्रभारी के लिए Create होगा एवं कंडिका 3 में वर्णित शर्त एवं बंधेज पूरा होने पर ऑन–लाईन Form C का निर्गमन हो सकेगा।

(viii) वर्ष 2013–14 एवं उसके बाद की अवधि के लिए Form C का ऑन–लाईन निर्गमन कंडिका 1 में निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न होने पर एवं कंडिका 3 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी होने पर पूर्णतः ऑटोमेटेड प्रोसेस से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होगा।

(ix) अंचल प्रभारी इस टास्क का, ऑन–लाईन आवेदन देने की तिथि से स्वयं अथवा अधिकृत किसी पदाधिकारी से अधिकतम **चार कार्य दिवसों** में पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) वित्तीय वर्ष 2012–13 से पूर्व की अवधि के प्रपत्र 'सी' का निर्गमन ऑनलाईन ही किया जायेगा, लेकिन यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड न होकर अंचल प्रभारी के लॉग–इन से होगी। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2012–13 की पूर्व के अवधि के लिए भी आवेदन ऑन–लाईन दाखिल किया जायेगा। अंचल प्रभारी इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–बिकीकर/विविध–23/2012/524 (अनु0) दिनांक 17.4.2012 में दिए गए निदेशो के आलोक में सम्यक् जॉच करेंगे और संतुष्ट होने पर ऑन–लाईन प्रपत्र निर्गमन करने के लिए सिस्टम को Enable कर सकेंगे।

3 शर्त तथा बंधेज–(i) प्रपत्र ''सी'' प्राप्त करने हेतु व्यवसायी द्वारा निम्न शर्तों को पूरा किया जाना बाध्यकारी होगाः–

(क) व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि का त्रैमासिक VAT एवं CST E-Return दाखिल कर स्वीकृत कर का E-payment कर दिया गया है।

(ख) 'सुविधा' के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से की गई अन्तर्राज्यीय क्रय की राशि Return के Part-III के Serial No.11(ii) के सभी प्रासंगिक कॉलमों में कर दर वार भर दिया गया है।

(ग) आलोच्य अवधि के लिए अधियाचित फार्म 'सी' की राशि कंडिका 3(ख) में दिखाई गई अन्तर्राज्यीय क्रय की राशि Plus Goods in Transit Sheet in the Current Quarter minus Goods in Transit in the immediately preceding Quarter में अपलोड की गई राशि से कम अथवा उसके बराबर है।

(घ) व्यवसायी द्वारा आलोच्य त्रैमास के पूर्व के चार त्रैमासों के लिए दाखिल की गई रिटर्न के पार्ट–III के क्रम सं० 11(ii) में वर्णित अंतराज्यीय क्रय की राशि पर देय कर का कम से कम 75% राशि के बराबर कर का भुगतान कर दिया गया है तथा उक्त उल्लेखित चार त्रैमासों के ब्लॉक के ठीक पूर्व

वाले त्रैमास हेतु दाखिल विवरणी में प्रतिवेदित अंतर्राज्यीय माल प्राप्ति के मूल्य पर देय कर की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

(ड़) व्यवसायी द्वारा अद्यतन सभी त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ (कर अकेंक्षण रिर्पोट–TAR सहित) दाखिल कर स्वीकृत कर का भुगतान कर दिया गया है।

(च) पूर्व में प्राप्त सभी प्रपत्र ''सी'' की खपत विवरणियां विहित प्रपत्र में दाखिल कर दी गयी हैं।

4. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / – 6259 दिनांक– 06-9-2012

प्रतिलिपि–उप–सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुये विभाग को 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / – 6259 दिनांक– 06-9-2012

प्रतिलिपि–सभी वाणिज्य–कर अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त (प्रशासन / अपील / अंकेक्षण), सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर / विविध–43 / 2011 / – 6259 दिनांक– 06-9-2012

प्रतिलिपि–सचिव, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना / सचिव, बार एसोसिएशन, वाणिज्य–कर भवन, पटना / सचिव, वाणिज्य–कर संघ, वाणिज्य–कर भवन, मुजफ्फरपुर / बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना / बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / सचिव, फूड ट्रेड यूनियन, पटना, एक्जीविशन रोड, पटना / महासचिव, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज शुजागंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।